THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक : मुख्या / एचआरडी / 2022–23 / 446 दिनांक 29/04/22

विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति (संविदा)

निगम द्वारा संविदा आधार पर विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 21.05.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं। मासिक वेतन रूपये 60,000 / – (रू. साठ हजार प्रतिमाह) (सी.टी.सी. आधार पर) देय होगा। विस्तृत शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप निगम की वेबसाईड www.mpagro.org पर उपलब्ध है। समय–सीमा के पश्चात् कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन / शुद्धिकरण केवल निगम की वेबसाईड पर दिया जायेगा। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

29/4/22.
for महाप्रबंधक (एचआरडी)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / एचआरडी / 2022–23 / दिनांक :

विधि अधिकारी की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति (संविदा)

एम पी स्टेट एग्रो इंड. डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद के लिये पात्र अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता, योग्यता पश्चात् अनुभव	आयु सीमा अधिकतम	मासिक वेतन
1.	विधि अधिकारी	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. डिग्री तथा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् किसी प्रतिष्ठा प्राप्त कम्पनी / लॉ–फर्म / सार्वजनिक उपक्रम में विधि संबंधी कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।	दिनांक 1.7.2022 को 30 वर्ष। अनु. जाति / जनजाति के लिए 35 वर्ष।	रू. 60,000 प्रतिमाह (सीटीसी)

आवेदक पूर्ण बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों की स्वःप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप, सेवा शर्तो का विवरण एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध है। नियुक्ति प्रथमतः दो वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2022 को सांयकाल 5.00 बजे तक निगम मुख्यालय में स्वीकार किये जावेंगे। समय–सीमा के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों की पूर्ति का अंतिम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को रहेगा।

23.5.2022

महाप्रबंधक (एचआरडी)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

M P AGRO

विधि अधिकारी की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	आवेदक का नाम	....
2	पिता / पति का नाम	....
3	जन्म तिथि	....
4	जाति (सही पर निशान लगाये)	सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग
5	स्थायी पता	....
6	वर्तमान पता	....
7	मोबाईल नंबर	....
8	शैक्षणिक योग्यता :–	

क.	बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा / अन्य योग्यता	वर्ष	विषय	श्रेणी	प्रतिशत	रिमार्क
1						
2						
3						
4						

नोट : कृपया अंक सूची की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

9	अनुभव :–

क.	संस्था / उपक्रम का नाम	कब से कब तक कार्यरत	कुल अनुभव		कार्य का विवरण	रिमार्क
			वर्ष	माह		
1						
2						
3						

नोट : कृपया अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

मैं सत्यापित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरी निजी जानकारी के नुसार सत्य एवं सही है । जानकारी असत्य पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहूँगा / रहूँगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर ....

दिनांक : आवेदक का नाम ....

विधि अधिकारी की संविदा नियुक्ति निर्धारित योग्यता एवं अनुभव की जानकारी

एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को संविदा आधार पर 01 विधि अधिकारी मासिक वेतन रूपये 60,000/प्रतिमाह (सीटीसी) की आवश्यकता है । संविदा की अवधि दो वर्ष होगी। संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार एवं संतोषजनक कार्य के आधार पर एक–एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्रतिवर्ष वेतन में 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।

1. **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक एल.एल.बी. परीक्षा उत्तीर्ण।

2. **अनुभव**

डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् किसी प्रतिष्ठित कंपनी/लॉ–फर्म/सार्वजनिक उपकम/शासन के किसी भी विभाग में विधि संबंधी कार्य का पांच वर्ष का अनुभव।

3. **चयन का मापदंड**

3.1 निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु निगम मुख्यालय में उपस्थित होगें, जिसके लिये सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी। अनु. जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम श्रेणी का रेल/बस किराया (प्रमाण प्रस्तुत करने पर) देय होगा।

3.2 योग्यता के लिए 60 अंक, अनुभव के लिए 30 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 10 अंक निर्धारित किये गये हैं। योग्यता एवं अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:–

शैक्षणिक योग्यता के अंक		
परीक्षा का नाम	परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक	परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक
12 वीं	20	15
एल.एल.बी. परीक्षा	40	35
कुल –	60	50

अनुभव के अंक	
3 वर्ष के अनुभव के लिए	20 अंक
4 वर्ष के अनुभव के लिए	25 अंक
5 वर्ष या उससे अधिक के लिए	30 अंक

साक्षात्कार के अंक
निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जावेगा। साक्षात्कार के लिए कुल अंक 10 निर्धारित हैं। अंकों का आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा।

3.3 एक पद के लिए अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

4. **अन्य शर्ते**

4.1 दिनांक 01.07.2022 को आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिये आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।

4.2 निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा कार्य अनुभव के परीक्षण पश्चात साक्षात्कार लिया जावेगा। योग्यता एवं अनुभव हेतु 90 प्रतिशत एवं साक्षात्कार हेतु 10

4.3 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर कार्य अनुभव के आधार को प्राथमिकता दी जावेगी।

4.4 नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं आकस्मिक होगी।

5. चयन पश्चात् अभ्यर्थी को राशि रू. 1000/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प व्यय अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना होगा।

6. अभ्यर्थियों को अनुबंध अवधि में अनुबंध की सभी शर्तो, म.प्र. शासन व निगम के स्थापना संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. निगम का प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय है, कार्य की आवश्यकता के आधार पर जिले में प्रवास पर जाना पड़ सकता है, जिसके लिये रू. 100/प्रतिदिन की दर से डी. ए. (प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर के लिये रू. 150/– विशेष दर) अन्य जिलों में ठहरने के लिये रू. 500/–(प्रदेश के चार बड़े शहरों यथा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में 750/– प्रतिदिन) अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जावेगी। ट्रेन का वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का आने जाने का किराया देय होगा। बस से यात्रा करने पर वातानुकूलित डीलक्स बस/सामान्य बस अथवा समकक्ष का किराया देय होगा।

8 बिना सूचना एवं स्वीकृति के लगातार 3 दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा व सबंधित को निगम के कार्य से पृथक माना जाएगा।

9. लगातार 6 दिवस कार्य करने पर एक दिवस के अवकाश (रविवार) की पात्रता होगी। नियुक्ति पश्चात छः माह की अवधि पूर्ण करने के उपरांत प्रतिवर्ष 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा, जिसके लिये पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

10. अनुबंधित अवधि में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। यदि निर्देशानुसार सेवायें प्रदान नहीं की जाती है या उसकी सेवाओं का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पूर्व 07 दिवस की सूचना पर यह अनुबंध निरस्त कर सकेगा और इसमें कोई आपत्ति अनुबंध की निरस्ती बाबत करने का अधिकार नहीं होगा, न ही इस अनुबंध की समाप्ति/निरस्ती बाबत उस पर/दावा करने का अधिकार होगा।

11. अनुबंधित अभ्यर्थी एक माह का नोटिस देकर निगम की अनुमति से सेवाएं छोड़कर जा सकेंगे ।

महाप्रबंधक (एचआरडी)